विविध प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–भोपाल

1– श्रीमती उर्मिला शर्मा पत्नी अशोक शर्मा
2– राहुल पचौरी पुत्र श्री प्रभूदयाल पचौरी
निवासीगण – 42 शकुन्तला पुरी थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.)
3– श्रीमती सरोज पचौरी पत्नी श्री व्ही.एन. पचौरी
निवासी–ई–8/382 चाणक्य अपार्टमेन्ट फेस–2 त्रिलोचन नगर भोपाल (म.प्र.) ..... प्रार्थीगण

विरूद्ध

रामचन्द्र पुत्र श्री अटठूमल शीतलानी
निवासी–21, अमीरगंज, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.) ..... प्रतिप्रार्थी

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजधारी परियोजना वृत टी. टी नगर भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 14.03.2017 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 1018/पी.बी.आर/2017 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 27.03.2017 पारित किया गया है। (आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)
2. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष जो निगरानी प्रस्तुत की गयी थी जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टी.टी.नगर भोपाल के आदेश दिनांक 14.03.2017 को निरस्त करने का निवेदन इस आधार पर किया गया था। कि वर्तमान प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधिकारिता रहित आदेश पारित कर स्थगन आदेश दिनांक 14.03.2017 को प्रकरण के निराकरण तक जारी किया है। जबकि भू–राजस्व संहिता मे हुये संशोधन के अनुसार स्थगन आदेश प्रकरण के निराकरण तक जारी ही नहीं किया जा सकता इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.03.2017 में माना गया है। किन्तु लिपिकीय त्रुटिवश अनुविभागीय अधिकारी राजधानी परियोजना वृत टी.टी. नगर भोपाल के आदेश दिनांक 14.03.2017 को निरस्त किये जाने के संबंध आदेश में नही है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने स्थगन आदेश को मान कर प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के आदेश में अनुविभागीय अधिकारी राजधानी परियोजना वृत टी. टीनगर भोपाल के आदेश दिनांक 14.03.2017 ''निरस्त किये जाने'' का शब्द अंकित किया जाना आवश्यक है।
3. यहकि, आवेदन सद्भाविक एवं न्यायिक होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतएव निवेदन है कि आवेदन–पत्र स्वीकार कर आदेश में उल्लेखित शब्द अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रावधानो के विपरीत स्थगन दिया गया है। अतः ''आदेश दिनांक 14.03.2017 निरस्त किये जाने'' के शब्द स्थापित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाये।

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 04.04.2017

निवेदक
श्रीमती उर्मिला शर्मा पत्नी अशोक शर्मा एवं अन्य ..... आवेदकगण
द्वारा अभिभाषक
के.के.द्विवेदी

विविध 9073-PBR/17

6.4.2017

प्रस्तुतकार

आवेदकगण की ओर से श्री के० के० द्विवेदी अभिभावक उपस्थित। तर्क सुने गये। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.3.2017 में आंशिक संशोधन करते हुये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 14.3.2017 निरस्त किया जाकर, प्रकरण विधि के प्रावधानों के अनुरूप निराकरण हेतु पूर्वानुसार भेजा जाता है। यह आदेशिका मूल आदेश का अंग होगी। अतः मूल आदेश के साथ संलग्न की जावे। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है।

06/4/17

अध्यक्ष